भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र / Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

संख्या/No. : 14/05/2020-GSC/ ५।० 09/04/2021

परिपत्र

विषय : कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय
संदर्भ : दिनांक 09.12.2020 का परिपत्र संख्या 14/05/2020-जी.ए.सी./2287

उक्त परिपत्र की माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद यह देखा गया है कोविड पॉजिटिव रोगी तथा उनसे प्राथमिक रूप से संपर्क में आने वाले व्यक्ति, होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपने आवास से बाहर आ जाते हैं, जिससे वे दूसरे व्यक्तियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

2. इस संबंध में, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, इंदौर के द्वारा जारी आदेश की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार डिफाल्टर द्वारा दिशा निर्देशों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है।

3. यह भी दोहराया जाता है कि कोविड -19 से संबंधित किसी भी लक्षण के मामले में, लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे चिकित्सा केंद्र से टेलीफोन पर संपर्क करें और उन्हें चिकित्सा केंद्र द्वारा फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए जाने तक कार्यालय में जाने से बचना चाहिए। लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे चिकित्सा केंद्र के डॉक्टरों द्वारा बताई गई दिनांक के अनुसार ही कोविड -19 के परीक्षण के लिये उपस्थित हों।

4. महामारी के सामान्य होने तक कृपया किसी भी प्रकार की सभा या समूह द्वारा बाहर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिये।

5. कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों पर नज़र रखने के लिए आरआरकेट में एक समिति का गठन किया गया है, जिसे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, इंदौर द्वारा दिनांक 25/03/2021 के आदेश संख्या 1163/ री.ए.डी.एम./2021 के बिंदु संख्या 14 के तहत डिफाल्टरों पर जुर्माना लगाने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

6. इसे निदेशक आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

शुगोंडाणे 9.4.21

(एस.एस. गोंडाणे / S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / Chief Administrative Officer

<u>मेल-ऑल / Mail All</u>
<u>सभी सूचना पट्ट / All the Notice Boards</u>